311/2021

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
सरकारी पेशकार उपस्थित। विपक्षीगण की तामील इन्तजार हेतु दिनांक 26/8/22 को पेश हो उप खण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा	
26/8/22 पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 6/9/22 को पेश हो।	
6.9.22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी सरकारी पेशकार उपस्थित। विपक्षीगण को जरिये नोटिस तामिल कराया गया जो श्रा. फि. हो। विपक्षीगण को पर्याप्त सुनवाई अवसर के बावजूद उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रार्थी सरकारी पेशकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर [illegible] सरकार शामिल किया हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो उप खण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 18:59:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नं0 **311 / 2021**

प्रार्थी :- राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :- 1. हाराम खां, नसीर खां, हबीब खा, सफी खा, पि.मेहरा, रहीमों बेवा मेहरा
2.मोहम्मद खा पुत्र फताखां साकीरखां, बगसा पि.छोगे खां
3.रहीमो बेवा मेहरा 4. सुभान, अदरीम, मुसा पि. रिडमल मु. मीमों बेवा समदा बाबुखां वल्द समदा 5. आरबखां वलद चौथा 6. बरकत खां वल्द चौथा कौम सिपाई 7. अहमदखां पुत्र सोमराजखां कौम मुसलमान सा. थोब खातदेार। रहन–आरब खा वल्द चौथा हिस्सा 1/6 बरकत खां वल्द चौथा हिस्सा पी.एन.बी शाखा पचपदरा के पक्ष मे व अहमद खां पुत्र सोमराज का सम्पूर्ण हिस्सा एस.बी.बी जे शाखा पाटोदी के पक्ष में

प्रार्थना पत्र धारा 130, 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59, 60, 66, 86 भू–अभिलेख नियम 1970

उपस्थिति :- 1. प्रार्थी :–सरकारी पैराकार
2. विप्रार्थीगण :– एकपक्षीय

आदेश दिनांक :– 06.09.2022

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के सक्षेप्त मे तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते में रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, उसको रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है। ग्राम **खनौडा** में एक ग्रेवल सड़क /डामर सडक / बारहमासी मार्ग(जो लागू नहीं) **खनौडा बडनावा रोड से खिदुपुरा खनौडा मार्ग तक** रास्ता वर्तमान में चल रहा है। ग्राम **खनोडा** में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से ग्राम **खनौडा** के खसरा न 129 रकबा 182–11 बीघा किस्म बा.सो भूमि में रास्ता चल रहा है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट 'अ'** में वर्णित विवर[illegible] **रोड से खिदुपुरा खनौडा मार्ग तक** चल रहे रास्ते को सम्बन्धित खातेदा[illegible] में रखते हुए परिशिष्ट 'अ' मे वर्णित रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 18:59:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख **नियम** 1970 का दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। **विप्रार्थीगण को जारी** नोटिस तामिलसुदा प्राप्त हुए विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर के **बावजूद भी उपस्थित** नही होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई । **उपतहसीलदार पाटोदी** से मौका रिपोर्ट तलब की गई । मौका फर्द दिनांक 22.6.22 के अनुसार **ग्राम खनौडा** के खसरा संख्या 129 **रकबा** 182–11 बीघा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

की जांच करने मौके पर पहुंचा तथा 12 बीघा मे मौके पर खसरा के बीच में से रास्ता चल रहा है ।जिससे खसरा संख्या 29 के दो टूकडे हो रहे है तथा जिसमे से एक का रकबा 103–13 बीघा व मार्ग के दूसरे तरफ का रकबा 76–18 बीघा बनता है तथा रास्ता मौके पर चालू हालत मे है तथा रास्ते की भूमि का क्षेत्रफल 2 बीघा है।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समूची स्थिति पर विवेचन किया गया उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया जिसमे पाया की आवेदन मे दर्शित विवादित भूमि का रकबा किस्म बारानी सोयम विप्रार्थीगण के खाते मे दर्ज है एवं मौका फर्द 22.6.22 के अनुसार मौके पर रास्ता चल रहा है । ऐसी सूरत मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा स्वीकार कर ग्राम खनौडा में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो **खनौडा बडनावा रोड से खिदुपुरा खनौडा मार्ग** खसरा नं. 129 रकबा 182–11 बीघा किस्म बा.सो भूमि में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क /बारहमासी मार्ग प्रभावित प्रस्तावित परिशिष्ट 'अ' परिवर्तन खतौनी में वर्णित विवरण अनुसार रास्ता राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदारान के नाम खाते मे ही दर्ज रहेगा। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा ।

(नरेश सोनी)
भू–अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 06.09.2022 को खुले न्यायालय [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 18:59:23 IST
Reason: SelfAttested

भू–अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा